Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 94-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 26, 2023 (JYAISTHA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2023

संख्या 9/24/2023–4कII.– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गों'' शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर ''पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्द, वर्ण तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''3. निगम की सीटों का निर्धारण.– (1) प्रत्येक निगम की कुल सीटों की संख्या, सरकार द्वारा, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, ऐसी तिथि को, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के आधार पर निर्धारित की जाएगी :

परन्तु जहां परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम हो, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण.– (i) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(ii) जहां परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत करने के बाद जनसंख्या 140 हो जाती है। इस दशा में, अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(2) प्रत्येक निगम के निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित या पुनः निर्धारित की जाएगी :–

निगम की जनसंख्या	**सीटों की संख्या**
4,00,000 से अनधिक	20
4,00,000 से अधिक किन्तु 5,00,000 से अनधिक	22
5,00,000 से अधिक किन्तु 6,00,000 से अनधिक	24
6,00,000 से अधिक किन्तु 7,00,000 से अनधिक	26
7,00,000 से अधिक किन्तु 8,00,000 से अनधिक	28
8,00,000 से अधिक किन्तु 9,00,000 से अनधिक	30
9,00,000 से अधिक किन्तु 10,00,000 से अनधिक	32
10,00,000 से अधिक किन्तु 12,00,000 से अनधिक	36
12,00,000 से अधिक किन्तु 15,00,000 से अनधिक	40
15,00,000 से अधिक	46

(3) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्यों की सीटों की संख्या प्रत्येक निगम में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएंगी :–

$$\frac{\text{कुल सीटों की संख्या X अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$ ।''

4. उक्त नियमों में, नियम 7 में, खण्ड (ख) में, अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।''।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2023

No. 9/24/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994, (hereinafter called the said rules), for the words "Backward Classes" wherever occurring, the words, alphabet and signs "Backward Classes 'A' " shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely.-

"**3. Fixation of seats of Corporation**.- (1) The total number of seats for each Corporation shall be fixed by the Government on the basis of the population drawn from the Family Information Data Repository established

under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government:

Provided that where the population as drawn from Family Information Data Repository is less than 140 per centum of the number of electors registered in such areas as per the last published Electoral Roll, then the population equal to 140 per centum of the number of voters in the electoral roll of the area shall be considered.

Illustration.- (i) Where the population as per Family Information Data Repository is 150 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per Family Information Data Repository shall be considered being higher.

(ii) Where the population as per Family Information Data Repository is 125 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per last published electoral roll shall be considered being higher.

(2) The number of seats to be filled by election on each Corporation shall be fixed or re-fixed in accordance with the following formula:-

Corporation with a population	**Number of seats**
Not exceeding 4,00,000	20
Exceeding 4,00,000 but not exceeding 5,00,000	22
Exceeding 5,00,000 but not exceeding 6,00,000	24
Exceeding 6,00,000 but not exceeding 7,00,000	26
Exceeding 7,00,000 but not exceeding 8,00,000	28
Exceeding 8,00,000 but not exceeding 9,00,000	30
Exceeding 9,00,000 but not exceeding 10,00,000	32
Exceeding 10,00,000 but not exceeding 12,00,000	36
Exceeding 12,00,000 but not exceeding 15,00,000	40
Exceeding 15,00,000	46

(3) The number of seats for members belonging to the Scheduled Castes shall be fixed in proportion to their population in each Corporation in accordance with the following formula:-

$$\frac{\textbf{Total number of seats X Population of Scheduled Castes}}{\textbf{Total Population}}$$

4. In the said rules, in rule 7, in clause (b), for the figure "10", the figure "20" shall be substituted.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

10394—C.S.—H.G.P., Pkl.